33(07)/2014

संख्या–728/VI-3/2023–33(7)2014

I/153960/2023

प्रेषक,

अभिनव कुमार,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 14 सितम्बर, 2023

विषयः– "खेल नीति–2021" के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों यथा–ओलम्पिक/पैरालम्पिक खेल, विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाले) एशियन गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, कामनवेल्थ चैम्पियनशिप, सैफ गेम्स, नेशनल खेल में उत्तराखण्ड प्रदेश के निवासियों को प्रतिभाग करने, मनोबल बढ़ाने एवं प्रदेश में खेल के विकास के उद्देश्य से उक्त खेलों में पदक विजेताओं को उत्तराखण्ड प्रदेश के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित सेवा शर्तो एंव भर्ती की प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने की "श्री राज्यपाल महोदय" सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड प्रदेश के स्थायी निवासी पदक विजेताओं को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।

(2) उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी उस खिलाड़ी को माना जायेगा :–

(क) जो उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी (स्थायी निवास प्रमाण–पत्र) है।

(ख) आवेदक खिलाड़ी द्वारा जिस वर्ष एवं जिस प्रतियोगिता के लिये सेवायोजन हेतु आवेदन किया गया हो, उस वर्ष एवं उस प्रतियोगिता में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व नेशनल गेम्स में किया गया हो, तभी अर्ह माना जायेगा।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर चयन हेतु संस्तुति किये जाने हेतु निम्नवत् समिति होगी :–

(I)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	– अध्यक्ष
(II)	अपर प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खेल विभाग, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
(III)	सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
(IV)	प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
(V)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
(VI)	निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड	– सदस्य/सचिव

1/153960/20(4) **अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों का वर्गीकरण :–**

(I)	श्रेणी–1	वेतनमान–15,600–39,100, पे बैंड–3, ग्रेड वेतन–5400 (लेवल–10)	ओलम्पिक गेम्स/पैरालम्पिक गेम्स में	स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक विजेता
			विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली/ कॉमनवेल्थ खेल (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली)/एशियन गेम्स	स्वर्ण पदक विजेता
(II)	श्रेणी–2	वेतनमान–9300–34,800, पे बैंड–2, ग्रेड वेतन–4800 (लेवल–8)	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली/ कॉमनवेल्थ खेल (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली)/एशियन गेम्स	रजत पदक विजेता
(III)	श्रेणी–3	वेतनमान–9300–34,800, पे बैंड–2, ग्रेड वेतन–4600 (लेवल–7)	एशियन चैम्पियनशिप 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली	स्वर्ण पदक विजेता
			विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली/ कॉमनवेल्थ खेल (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली)/एशियन गेम्स	कांस्य पदक विजेता
(IV)	श्रेणी–4	वेतनमान–9300–34,800, पे बैंड–2, ग्रेड वेतन–4200 (लेवल–6)	एशियन चैम्पियनशिप 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली	रजत एवं कांस्य पदक विजेता
			कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/नेशनल गेम्स/सैफ गेम्स	स्वर्ण पदक विजेता
(V)	श्रेणी–5	वेतनमान–5200–20,200, पे बैंड–2, ग्रेड वेतन–2000 (लेवल–3) से ग्रेड वेतन रू0 2800(लेवल–5)	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/नेशनल गेम्स/सैफ गेम्स	रजत एवं कांस्य पदक विजेता

(5) **पदों का विवरण** :– अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों में चिन्हित पदों/वेतनमान तथा मान्यता प्राप्त खेल विधाओं का विवरण इस शासनादेश के **परिशिष्ट–1 एवं परिशिष्ट–2** में वर्णित हैं पर **प्रस्तर–(3) पर** उल्लिखित समिति की संस्तुति पर सम्बन्धित विभाग द्वारा अधिसंख्यक पदों पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(6) किसी विभाग में उपरोक्तानुसार अधिसंख्यक पद पर जिस सम्बन्धित श्रेणी के उम्मीदवार/खिलाडी का चयन किया जायेगा, उसके सापेक्ष सीधी भर्ती के उस श्रेणी के पद को फ्रिज माना जायेगा। यदि किसी चयन वर्ष में पदों के सापेक्ष खिलाडियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु पद की अनुपलब्धता की स्थिति उत्पन्न होती है तो खिलाडियों को वित्त विभाग की सहमति से सम्बन्धित श्रेणी में अतिरिक्त अधिसंख्यक पद सृजित कर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(7) **योग्यताएँ** :—

I. उपरोक्त पैरा—5 में वर्णित पदक विजेताओं को राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन दिये जाने के लिये खिलाडियों को संगत नियमावली में उल्लिखित आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता धारित होनी चाहिए।

II. भर्ती किये जाने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों को अनिवार्य/अधिमान्य अर्हताओं में छूट अथवा शिथिलीकरण दिये जाने के सम्बन्ध में **प्रस्तर—(3)** में वर्णित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

III. भर्ती किये जाने वाले पदक विजेताओं की यदि किसी ऐसे पद पर भर्ती की जाती है, जिसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं सम्बन्धित पदक विजेता द्वारा नियुक्ति के समय धारित नहीं की गयी है की दशा में सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त नियुक्ति किये जा रहे पदक विजेता खिलाड़ी को 04 वर्ष का समय उक्त अनिवार्य अर्हताएँ अर्जित किये जाने हेतु प्रदान किया जायेगा।

IV. भर्ती किये जाने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों में ये खिलाड़ी जो निर्धारित योग्यता धारित करते है, का परिवीक्षा काल यही होगा जो उक्त संवर्ग के लिये निर्धारित है।

परन्तु जिन पदक विजेता खिलाड़ियों के पास अनिवार्य शैक्षिक योग्यता नहीं धारित है, को उपरोक्त **प्रस्तर—(7)** III में वर्णित व्यवस्थानुसार परीवीक्षा काल वांछित अनिवार्य योग्यता प्राप्त कर लेने पर अथवा अधिकतम 04 वर्ष होगा।

(8) **नियुक्ति प्रक्रिया** :—

समय—समय पर निदेशक, खेल निदेशालय कार्यालय द्वारा सम्बन्धित विभाग से रिक्तियां प्राप्त करनी होगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर नियुक्त किये जाने हेतु व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा अथवा उक्त श्रेणी के खिलाड़ियों के सीधे आवेदन निदेशक, खेल निदेशालय कार्यालय में प्राप्त होने पर सम्यक विचारोंपरान्त उपरोक्त **प्रस्तर—(3)** में वर्णित भर्ती समिति द्वारा 02 माह के भीतर विचार करते हुये अपनी संस्तुति प्रदान की जायेगी। उक्त संस्तुति प्राप्त होने पर खेल विभाग द्वारा समिति की संस्तुति को सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किया जायेगा। चयनित पदक विजेता खिलाड़ियों को अधिसंख्यक पद पर नियुक्ति 04 माह के भीतर सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी।

(9) <u>पदोन्नति</u> :—

I. नियुक्ति पदक विजेताओं को पदोन्नति का अवसर उसी प्रकार उपलब्ध होंगे, जिस प्रकार उस संवर्ग के अन्य कार्मिकों को उपलब्ध होंगे। अधिसंख्यक पद की दशा में उक्त पद हेतु निर्धारित प्रोन्नति समय पर उक्त अधिसंख्यक पद प्रोन्नत पद के वेतनमान में स्वतः हस्तांतरित हो जायेगा। यदि पद उपलब्ध हो, तो प्रोन्नति होगी। यदि पद उपलब्ध नहीं होता है, तो ए0सी0पी0 का लाभ मिलेगा।

II. जिन खिलाड़ियों द्वारा राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के दौरान एक्टिव खिलाड़ी के रूप में पुनः <u>*प्रस्तर–(4)*</u> में उल्लिखित प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित किया जाता है, तो ऐसे खिलाड़ियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी। इस प्रकार अधिकतम 05 बार यह अवसर प्रत्येक पदक विजेता को प्रदान किया जा सकेगा।

III. जिन खिलाड़ियों द्वारा नियुक्ति के उपरान्त पुनः <u>*प्रस्तर–(4)*</u> में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर पूर्व से उच्च स्तर का पदक प्राप्त किया जाता है तो उन्हें इस शासनादेश के तहत उच्च वेतनमान/विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन किये जाने का अवसर प्राप्त होगा।

(10) <u>कर्तव्य एवं दायित्व</u> :—

I. नियुक्ति हेतु चयनित पदक विजेता खिलाड़ियों द्वारा चयनित पद के कार्य एवं दायित्वों का सामान्य रूप से निवर्हन किया जायेगा।

II. खिलाड़ी को जिस श्रेणी के अन्तर्गत जिस पद पर नौकरी प्रदान की जायेगी वह उस पद का कार्य करेगा।

III. विभाग द्वारा यथा शक्ति यह प्रयास किया जायेगा कि उक्त पदक विजेता खिलाड़ियों का उपयोग खेलों के उन्नयन एवं विकास के लिये किया जाये और यदि वे नियुक्ति के समय एक्टिव खिलाड़ी होगें, तो उन्हें नौकरी के प्रथम 05 वर्षों तक खेलते रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

(11) शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 12 माह की अवधि तक, 10 वर्ष पूर्व के तथा उसके उपरान्त 05 वर्ष पूर्व के, पदक विजेता खिलाड़ी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

(12) इस शासनादेश के अन्तर्गत जिन राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी, ये पद लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि से बाहर प्राविधानित किये जायेंगे।

(13) यह शासनादेश वित्त अनु–07, उत्तराखण्ड शासन के eoffice आई0डी0 संख्या–I/ 153376/2023, दिनांक 11 सितम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

Signed by Abhinav Kumar
Date: 14-09-2023 11:09:22

(अभिनव कुमार)
विशेष प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–728/VI-3/2023–33(07)/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खेल विभाग/युवा कल्याण विभाग/गृह विभाग/वन विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग/परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित प्रधानाचार्य, स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून/पिथौरागढ़।
8. समस्त जिला क्रीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव।

1/153960/2023

(परिशिष्ट–1)

अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन दिये जाने के सम्बन्ध में चिन्हित विभाग एवं वेतनमान तथा पदों का विवरण।

क्र. सं.	विभाग का नाम	वेतनमान	लेवल/ ग्रेड–पे	पद	सीधी भर्ती के माध्यम से		योग्यता
1	2	3	4	5	6	7	8
					विभाग में सृजित पदों की संख्या का विवरण	आउट ऑफ टर्न नियुक्ति हेतु सृजित अधिसंख्यक पदों की संख्या	
1.	खेल विभाग	44900–142400	07 ग्रेड–पे–4600	जिला क्रीड़ा अधिकारी	13	01	स्नातक या समकक्ष डिग्री/कम से कम अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पदक
		35400–112400	06 ग्रेड–पे–4200	उप क्रीड़ा अधिकारी	13	01	स्नातक या समकक्ष डिग्री/कम से कम अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पदक
		28200–92300	05 ग्रेड–पे–2800	सहायक प्रशिक्षक	60	02	स्नातक या समकक्ष डिग्री/कम से कम अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पदक
2.	युवा कल्याण विभाग	44900–142400	07 ग्रेड–पे–4600	जिला युवा कल्याण अधिकारी	06	01	स्नातक या समकक्ष डिग्री
		28200–92300	05 ग्रेड–पे–2800	व्यायाम प्रशिक्षक	63	02	स्नातक या समकक्ष डिग्री
		28200–92300	05 ग्रेड–पे–2800	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 अधि0	95	03	स्नातक या समकक्ष डिग्री

3.	गृह विभाग	56100-170500	10 ग्रेड-पे-5400	पुलिस उप अधीक्षक	46	<u>02</u>	स्नातक या समकक्ष डिग्री
		44900-142400	07 ग्रेड-पे-4600	उप निरीक्षक	1115	<u>10</u>	स्नातक या समकक्ष डिग्री
		19900-63200	02 ग्रेड-पे-2000	कॉन्सटेबल	14003	<u>50</u>	स्नातक या समकक्ष डिग्री
4.	वन विभाग	56100-170500	10 ग्रेड-पे-5400	सहायक वन संरक्षक	45	<u>01</u>	स्नातक या समकक्ष डिग्री
		47600-181100	08 ग्रेड-पे-4800	वन क्षेत्राधिकारी	154	<u>02</u>	स्नातक या समकक्ष डिग्री
		28200-92300	05 ग्रेड-पे-2800	वन दरोगा	1210	<u>10</u>	स्नातक या समकक्ष डिग्री
		21700-69100	03 ग्रेड-पे-2000	वन आरक्षी	3650	<u>15</u>	इण्टरमीडिएट
5.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	44900-142400	07 ग्रेड-पे-4600	सहायक अध्यापक (व्यायाम)	2297	<u>50</u>	स्नातक या समकक्ष डिग्री
6.	परिवहन विभाग	56100-170500	10 ग्रेड-पे-5400	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	16	<u>01</u>	स्नातक या समकक्ष डिग्री
		21700-69100	03 ग्रेड-पे-2000	प्रर्वतन सिपाही	206	<u>05</u>	इण्टरमीडिएट

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव।

(परिशिष्ट–2)

/153960/2023

अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन दिये जाने के सम्बन्ध में खेलवार विवरण।

क्र.सं.	खेल का नाम
1	एथलेटिक्स
2	तीरंदाजी
3	बैडमिन्टन
4	बास्केटबॉल
5	बाक्सिंग
6	केनौइंग एवं क्याकिंग
7	साइकिलिंग
8	डाईविंग
9	घुडसवारी
10	तलवारबाजी
11	फुटबॉल
12	गोल्फ
13	हैंडबॉल
14	हॉकी
15	जूडो
16	लॉन टेनिस
17	शूटिंग
18	रोइंग
19	सेलिंग
20	तैराकी
21	टेबिल–टेनिस
22	ताइक्वांडो
23	वालीबॉल
24	वेटलिफ्टिंग
25	कुश्ती
26	बेसबॉल
27	शतरंज
28	क्रिकेट
29	कबड्डी
30	कराटे
31	खो–खो
32	मलखम्ब

नोट– उक्त सूची में उल्लिखित खेलों में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अन्य खेलों को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है।

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव।

Signed by Jitendra Kumar
Sonkar
Date: 14-09-2023 11:13:00